रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2463] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2017/भाद्र 7, 1939
No. 2463] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2017/BHADRA 7, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

का.आ. 2810(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

और, मंगलवनम पक्षी अभयारण्य कोच्चि शहर के करीब निकटतम में स्थित है और यह एकमात्र हरा पैच है जो कि एर्नाकुलम और कोच्चि के प्रतरूप शहरों में ग्रीन लंग के रूप में कार्य करता है और केरल के मध्य भाग में स्थित है,

मंगलवनम पक्षी अभयारण्य में प्रकृति शिक्षा के लिए उच्च क्षमता है जिसमें पर्यावरणीय मुद्दों को सम्मिलित किया गया है ;

और, मंगलवनम पक्षी अभयारण्य केरल राज्य में केवल एक तटीय संरक्षित क्षेत्र है जो 2.74 हेक्टेयर ज्वारीय आद्रभूमि का एक हिस्सा भंगुर मैंग्रोव वनस्पति का संभरण करता है जिसमें पांच मैंग्रोव की प्रजातियां और 25 अन्य फूलों की प्रजातियां शामिल हैं और मंगलवनम पक्षी अभयारण्य में स्तनधारियों की 3 प्रजातियां, सरीसृपों की 9 प्रजातियां, मकड़ियों की 51 प्रजातियां, उभयचरों की 2 प्रजातियां और मछलियों की 7 प्रजातियों का भी संभरण हैं ;

और, मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के अस्तित्व में पर्यावरणीय संरक्षण के दृष्टिकोण से एर्नाकुलम जैसे एक व्यस्त शहर के बीच में मैंग्रोव सहित पक्षीजीव, चमगादड़, अन्य पशुओं और अन्य वनस्पति प्रजातियों का अच्छी संख्या का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है;

और, कुछ क्रियाकलापों पर रोक लगाने या उनका विनियमन करके पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है जो मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के अस्तित्व के लिए हानिकारक है;

और, मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार इसके द्वारा एक क्षेत्र को सूचित करती है जिसमें केरल राज्य में मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की सीमा के आसपास शून्य से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बदलते हैं, मंगलावनम पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**——(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन, 0.45 वर्ग किलोमीटर होगा, (मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के पश्चिम की ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण है। यहाँ पर, मदाधिवक्ता कार्यालय, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान भवन, बड़ी संख्या में वाणिज्यिक और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों सहित बहुमंजिली इमारतों की एक बड़ी संख्या है) जो हद तक पश्चिमी ओर से शून्य से बदलकर मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की सीमा के आसपास 1.5 किलोमीटर है।

(2) मंगलवनम पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है ।

(3) मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के निर्देशांक और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक **उपाबंध-II** के रूप में संलग्न है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-III** के रूप में संलग्न है ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत एर्नाकुलम ग्राम है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.——(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना के दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जैसी इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी अर्थात्:—

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन जिसके अन्तर्गत पर्यावरण पर्यटन भी है;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना, अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना, अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी। इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का भी विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए भी पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए सारणी के सूचीबद्ध क्रियाकलाप विनियमित करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना, यथा अनुमोदित, इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**——राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी किसी जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के संबद्ध राज्य विधियों और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, या तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना, पर्यावरण और वन के राज्य पर्यटन विभाग के परामर्श , से तैयार किया जाएगा ।

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

(i) वन्यजीव अभयराण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी एक विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग रुप में तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी आंचलिक महायोजना के भाग रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुपालन में किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, (वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**——पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों राज्य सरकार द्वारा अनुबद्ध मानकों के अनुसार या पर्यावरणीय प्रदूषक के निस्सरण लिए साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**——ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति से किया जा सकेगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** -जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां, आवास अनुकूल रीति और से विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार किए जाने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति संबंधित अधिनियमों और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुपालन में किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास, उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि, किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन या उसके पश्चात, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तो में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योग अनुज्ञात होंगे और इसके साथ-साथ गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा ।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(ख) विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या उच्च डिग्री वाले ढलानों पर कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक समझा जाए, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन के अधीन प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों उसके अधीन बने नियमों, जिसके अन्तर्गत और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां, जिसके अन्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) भी हैं और उसके अधीन बने हुए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में होगी ।
2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अन्तर्गत (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदूषण कारित करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योग भी है।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई नया उद्योग या प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योग अनुज्ञात होंगे और इसके साथ-साथ गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

3.	बृहत तापीय और जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु संरचनाओं के सिवाय कोई नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परन्तु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिक संवेदी जन के विस्तार तक, जो भी निकट है, सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरुप होंगे।
11.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जन के विस्तार तक, जो भी निकट है, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा: परंतु स्थानीय लोगों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी है भवन उपविधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे जैसे- । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

		(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी 2016, में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परिभाषित प्रदूषण कारित नहीं करने वाले लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो गृह वास; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलाप : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण कारित नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, किए जाएंगे ।

18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण ।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, किए जाएंगे ।
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश बनाया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
24.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों को सख्ती से मानीटर किया जाएगा और विनियमित किया जाएगा।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि, भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।

35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन को प्रभावी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी.—

(1)	जिला कलेक्टर, एर्नाकुलम	-अध्यक्ष;
(2)	विधायक, एर्नाकुलम	-सदस्य;
(3)	कर्नाटक सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(4)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी:	-सदस्य;
(5)	कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(6)	केरल वन अनुसंधान संस्थान का वन्यजीव विशेषज्ञ	-सदस्य;
(7)	कोच्चि निगम का नगर नियोजन अधिकारी	-सदस्य;
(8)	संबद्ध वार्ड/प्रभाग का निगम पार्षद	-सदस्य;
(9)	मंगलवनम संरक्षाना समिति के अध्यक्ष/ सचिव	-सदस्य;
(10)	केरल सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन वर्ष के लिए जैवविविधता का विशेषज्ञ	- सदस्य;
(11)	वन्यजीव वार्डन	-सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन :

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के गठन किए जाने तक होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) , तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का कार्य प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अपने क्रियापलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उक्त वर्ष के 30 जून तक **उपाबंध-IV** में उपबंधित रूप में प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(9) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/32/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

मंगलवनम पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की उत्तरी सीमा में पचालम रोड और पचलम ओवर ब्रिज शामिल हैं। फिर से एर्नाकुलम शहर के एक उच्च आबादी वाले आवासीय क्षेत्र के माध्यम से सीमा पार हो जाती है और फिर से प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की पूर्वी सीमा से मथाई-मजूरन रोड बनाती है जो एक क्षेत्र के साथ निकटतम है जिसमें अत्यधिक आबादी है। प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की दक्षिणी ओर से सलीम अली सड़क है जो कि केरल के माननीय उच्च न्यायालय के बहुमंजिली भवन और एर्नाकुलम शहर की सड़कों का एक नेटवर्क है और फिर से प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की पश्चिमी सीमा से इब्राहीम-मदम्क्कल रोड और चैथियथ रोड बनाते है। पश्चिमी सीमा वींबनड झील है जो अरब सागर को छूती है। मंगलवनम पक्षी अभयारण्य और प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन एर्नाकुलम जिले के कन्ननूर तालुक के एर्नाकुलम ग्राम के क्षेत्र में पूरी तरह से आता है।

उपाबंध–II

मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के निर्देशांक और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के भौगोलिक स्थिति प्रणाली के निबंधन निर्देशांक

मंगलवनम-पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक

	मार्ग बिंदु/स्थान	अक्षांश	देशांतर
1	**राम मोहन महल**	उ-09°59' 11.940"	पू-076° 16' 25.380"
2	मंगलवनम बांध	उ -09°59' 15.180"	पू-076° 16' 23.520"
3	मंगलवनम - बीपीसीएल सीमा	उ -09°59' 20.350"	पू-076° 16' 20.476"
4	बीपीसीएल सड़क (अबदुल कलाम मार्ग)	उ -09°59'18.900"	पू-076° 16' 17.400"
5	बीपीसीएल पंप	उ -09°59' 24.060"	पू-076° 16' 15.600"
6	अखीला केरला दीवारा सभा	उ -09°59' 25.560"	पू-076° 16' 15.540"
7	बीपीसीएल - के भीतर	उ -09°59' 27.631"	पू-076° 16' 19.405"
8	बीपीसीएल - के भीतर	उ -09°59' 24.360"	पू-076° 16' 26.220"
9	रेलवे - के भीतर	उ -09°59' 23.760"	पू-076° 16' 28.740"
10	रेलवे - के भीतर	उ -09°59' 24.120"	पू-076° 16' 28.560"
11	एचयूएल - के भीतर	उ -09°59' 30.660"	पू-076° 16' 26.880"
12	एचयूएल - के भीतर	उ -09°59' 30.660"	पू-076° 16' 25.440"
13	एचयूएल - के भीतर	उ -09°59' 32.220"	पू-076° 16' 25.550"
14	एचयूएल - के भीतर	उ -09°59' 32.440"	पू-076° 16' 24.330"
15	एचयूएल - के भीतर	उ -09°59' 33.840"	पू-076° 16' 22.440"
16	एचयूएल - के भीतर	उ -09°59' 33.840"	पू-076° 16' 24.600"
17	एचयूएल - के भीतर	उ -09°59' 35.940"	पू-076° 16' 22.680"
18	एचयूएल - के भीतर	उ -09°59' 37.777"	पू-076° 16' 22.135"
19	एचयूएल - के भीतर	उ-09°59' 40.397"	पू-076° 16' 23.057"
20	एचयूएल - के भीतर	उ-09°59' 45.780"	पू-076° 16' 27.360"
21	एचयूएल - के भीतर	उ-09°59' 45.660"	पू-076° 16' 24.780"

22	एचयूएल - के भीतर	उ-09°59' 45.600"	पू-076° 16' 33.060"
23	एचयूएल - के भीतर	उ-09°59' 45.900"	पू-076° 16' 29.700"
24	एचयूएल - के भीतर	उ-09°59' 49.320"	पू-076° 16' 34.440"
25	एचयूएल - के भीतर	उ -09°59' 50.520"	पू-076° 16' 34.500"
26	एचयूएल - के भीतर	उ-09°59' 51.720"	पू-076° 16' 35.940"
27	एचसीपीएल - के भीतर	उ -09°59' 55.920"	पू-076° 16' 36.240"
28	एचपीसीएल - के भीतर	उ -09°59' 57.600"	पू-076° 16' 36.540"
29	एचपीसीएल - के भीतर	उ -09°59' 59.940"	पू-076° 16' 40.920"
30	एचपीसीएल - के भीतर	उ -10°0'0.300 "	पू-076° 16' 43.920"
31	एचपीसीएल - के भीतर	उ-09°59'58.080"	पू-076° 16' 43.320"
32	एचपीसीएल - के भीतर	उ -09°59'50.820"	पू-076° 16' 41.640"
33	ग्रीन एकड़	उ -09°59'40.080"	पू-076° 16' 38.640"
34	टाटापुरम	उ -09°59'37.740"	पू-076° 16' 37.800"
35	टाटा ऑयल मिल सड़क	उ-09°59'36.660"	पू-076° 16' 38.760"
36	पी एस एन एसोसिएट्स	उ -09°59' 29. 160"	पू-076° 16' 36.480"
37	एसी सीटी	उ-09°59' 18.406"	पू-076° 16' 32.990"
38	सलीम अली सड़क से आरंभ	उ-09°59' 13.800"	पू-076° 16' 31.800"
39	मंगलवनम (एI)	उ-09°59" 15.180"	पू-076° 16' 23.520"
40	मंगलवनम (बी1)	उ-09°59' 19.800"	पू-076° 16' 27.960"
41	मंगलवनम (डी1)	उ-09°59' 20.350"	पू-076° 16' 20.476"

<u>मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की सीमा</u>

1	मंगलवनम (एI)	उ-09°59' 15.180"	पू -076° 16' 23.520"
2	मंगलवनम (बी1)	उ -09°59' 19.800"	पू -076° 16' 27.960"
3	मंगलवनम (डीI)	उ -09°59' 20.350"	पू -076° 16' 20.476"
4	रेलवे - के भीतर	उ -09°59' 23.760"	पू -076° 16' 28.740"

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

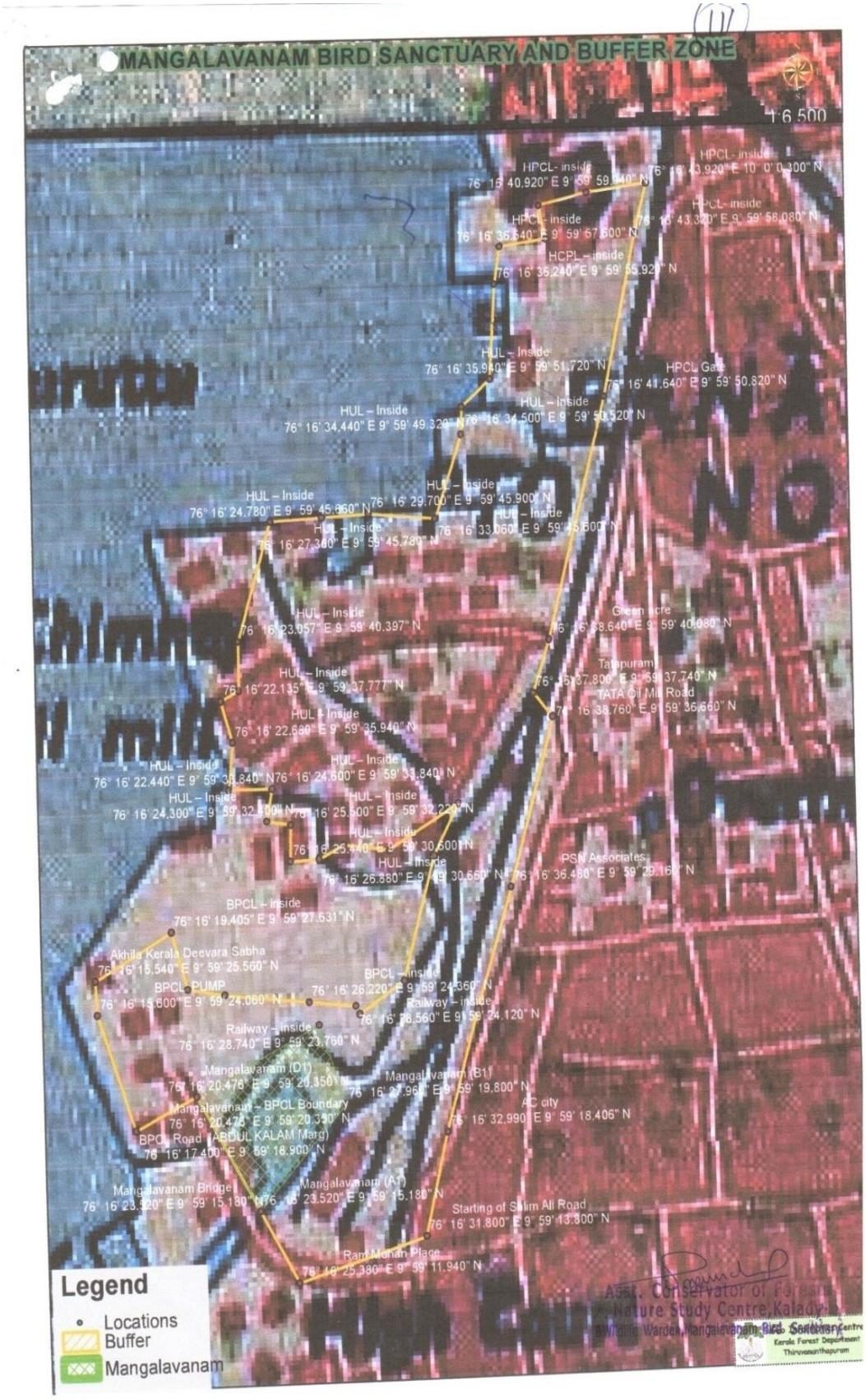

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रुप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2017

S.O. 2810(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Manglavanam Bird Sanctuary is located at a close proximity to Kochi city and it is the only green patch which serves as green lung to twin cities of Ernakulam and Kochi and situated in the central part of Kerala, Manglavanam Bird Sanctuary has high potential for nature education covering varieties of environmental issues;

AND WHEREAS, the Manglavanam Bird Sanctuary is the only one coastal protected area in the State of Kerala with an extent of 2.74 hactare of tidal wetland supporting fragile mangrove vegetation which comprises of five species of mangroves and 25 of other floral species and the Manglavanam Bird Sanctuary also supports 3 species of mammals, 9 species of reptiles, 51 species of spiders, 2 species of amphibians and 7 species of fishes;

AND WHEREAS, the existence of Manglavanam Bird Sanctuary supporting good number of avifauna, bats, other animals and other floral species including mangroves amidst a busy city like Ernakulam is very vital from the point of view of environmental conservation;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the areas adjoining to Manglavanam Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone by prohibiting or regulating certain activities which are detrimental for the existence of the Manglavanam Bird Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries is specified in this notification around the Manglavanam Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from zero to 1.5 kilo meters around the boundary of the Manglavanam Bird Sanctuary in the State of Kerala as the Manglavanam Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-

(1) The Eco-sensitive Zone shall be 0.45 square kilo meters with an extent varying from zero on western side (the Eco-Sensitive Zone area in the west side of the Mangalavanam Bird Sanctuary is very narrow and there are large number of multi stored buildings including that of Advocate General office, Central Marine Fisheries Research Institute building, large number of commercial and other Government establishments) to 1.5 kilo meters around the boundary of Manglavanam Bird Sanctuary.

(2) The boundary description of the Manglavanam Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-I.

(3) The co-ordinates of Manglavanam Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone in terms of Global Positioning System coordinates is appended as Annexure-II.

(4) The map of Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-III.

(5) The Ernakulam village falling in the Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture & Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal and urban development;
(x) Panchayati Raj ;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places,

horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.-

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant laws of the Central/State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting Eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under under the relevant laws of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and

Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority with emphasis on Eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by the State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated 8th April, 2016 and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- The Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone Notification 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever

		is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents such as:- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by the Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting Eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities listed in this Notification: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of Industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
14.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.

39.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(1)	District Collector Ernakulam	—Chairman;
(2)	MLA, Ernakulam	—Member ;
(3)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Kerala for a period of three years	—Member ;
(4)	Regional Officer from Kerala State Pollution Control Board	—Member ;
(5)	One representatives of Non-governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala for a period of three years	—Member ;
(6)	Wildlife expert form Kerala Forest Research Institute	—Member;
(7)	Town Planning Officer from Cochin Corporation	—Member ;
(8)	Corporation Councillor of the concerned Ward/ Division	—Member ;
(9)	President/Secretary of Mangalavanam : Samrakshana Samithi	—Member ;
(10)	Expert in Biodiversity nominated by Kerala Govt. for three years	—Member;
(11)	Wildlife Warden	—Member Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per performa appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

(9) The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/32/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of Manglavanam Bird Sanctuary and its Eco-sensitive zone

The Northern boundary of the proposed Eco-sensitive Zone consists of the Pachalam road and the Pachalam overbridge. Thence the boundary passes through a highly populated residential area of Ernakulam city and thence the Mathai-Majooran road forms the Eastern boundary of the proposed Eco-sensitive Zone which is contiguous with an area which is highly populated. Thence on the Southern side of the proposed Eco-sensitive zone is the Salim Ali road which extends to an area having the multi stored building of Honourable High court of Kerala and a network of roads of the Ernakulam city and thence the Abraham-Madamakkal Road and the Chathiyath Road forms the western boundary of the proposed Eco-sensitive zone. The Western boundary continues to the Vembanadu lake which touches Arabian sea. The Mangalavanam Bird Sanctuary and the proposed Eco-sensitive Zone area completely falls in Ernakulam Village in Kanayannoor Taluk of Ernakulam District.

ANNEXURE-II

Co-ordinates of Manglavanam Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone in terms of Global Positioning System co-ordinates

CO-ORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE - MANGALAVANAM

	Way points/ Place	Latitudes	Longitudes
1	Ram Mohan Palace	N-09°59' 11.940"	E-076° 16' 25.380"
2	Mangalavanam Bridge	N -09°59' 15.180"	E-076° 16' 23.520"
3	Mangalavanam - BPCL Boundary	N -09°59' 20.350"	E-076° 16' 20.476"
4	BPCL Road (ABDUL KA LAM Marg)	N -09°59'18.900"	E-076° 16' 17.400"
5	BPCL PUMP	N -09°59' 24.060"	E-076° 16' 15.600"
6	Akhi la Kerala Deevara Sabha	N -09°59' 25.560"	E-076° 16' 15.540"
7	BPCL - inside	N -09°59' 27.631"	E-076° 16' 19.405"

8	BPCL - inside	N -09°59' 24.360"	E-076° 16' 26.220"
9	Railway - inside	N -09°59' 23.760"	E-076° 16' 28.740"
10	Railway - inside	N -09°59' 24.120"	E-076° 16' 28.560"
11	HUL - Inside	N -09°59' 30.660"	E-076° 16' 26.880"
12	HUL - Inside	N -09°59' 30.660"	E-076° 16' 25.440"
13	HUL - Inside	N -09°59' 32.220"	E-076° 16' 25.550"
14	HUL - Inside	N -09°59' 32.440"	E-076° 16' 24.330"
15	HUL - Inside	N -09°59' 33.840"	E-076° 16' 22.440"
16	HUL - Inside	N -09°59' 33.840"	E-076° 16' 24.600"
17	HUL - Inside	N -09°59' 35.940"	E-076° 16' 22.680"
18	HUL - Inside	N -09°59' 37.777"	E-076° 16' 22.135"
19	HUL - Inside	N-09°59' 40.397"	E-076° 16' 23.057"
20	HUL - Inside	N-09°59' 45.780"	E-076° 16' 27.360"
21	HUL - Inside	N-09°59' 45.660"	E-076° 16' 24.780"
22	HUL - Inside	N-09°59' 45.600"	E-076° 16' 33.060"
23	HUL - Inside	N-09°59' 45.900"	E-076° 16' 29.700"
24	HUL - Inside	N-09°59' 49.320"	E-076° 16' 34.440"
25	HUL - Inside	N -09°59' 50.520"	E-076° 16' 34.500"
26	HUL - Inside	N-09°59' 51.720"	E-076° 16' 35.940"
27	HCPL - Inside	N -09°59' 55.920"	E-076° 16' 36.240"
28	HPCL - Inside	N -09°59' 57.600"	E-076° 16' 36.540"
29	HPCL - Inside	N -09°59' 59.940"	E-076° 16' 40.920"
30	HPCL - Inside	N -10°0'0.300 "	E-076° 16' 43.920"
31	HPCL - Inside	N-09°59'58.080"	E-076° 16' 43.320"
32	HPCL - Inside	N -09°59'50.820"	E-076° 16' 41.640"
33	Green Acre	N -09°59'40.080"	E-076° 16' 38.640"
34	Tatapuram	N -09°59'37.740"	E-076° 16' 37.800"
35	TATA Oil Mill Road	N-09°59'36.660"	E-076° 16' 38.760"
36	PSN Associates	N -09°59' 29. 160"	E-076° 16' 36.480"
37	AC city	N-09°59' 18.406"	E-076° 16' 32.990"
38	Starting of Salim Ali Road	N-09°59' 13.800"	E-076° 16' 31.800"
39	Mangalavanam (Al)	N-09°59" 15.180"	E-076° 16' 23.520"

40	Mangalavanam (B1)	N-09°59' 19.800"	E-076° 16' 27.960"
41	Mangalavanam (D1)	N-09°59' 20.350"	E-076° 16' 20.476"

Boundary of the Mangalavanam Bird Sanctuary

1	Mangalavanam (Al)	N-09°59' 15.180"	E-076° 16' 23.520"
2	Mangalavanam (B1)	N-09°59' 19.800"	E-076° 16' 27.960"
3	Mangalavanam (Dl)	N-09°59' 20.350"	E-076° 16' 20.476"
4	Railway-inside	N-09°59' 23.760"	E-076° 16' 28.740"

ANNEXURE-III

Map of Eco-sensitive zone

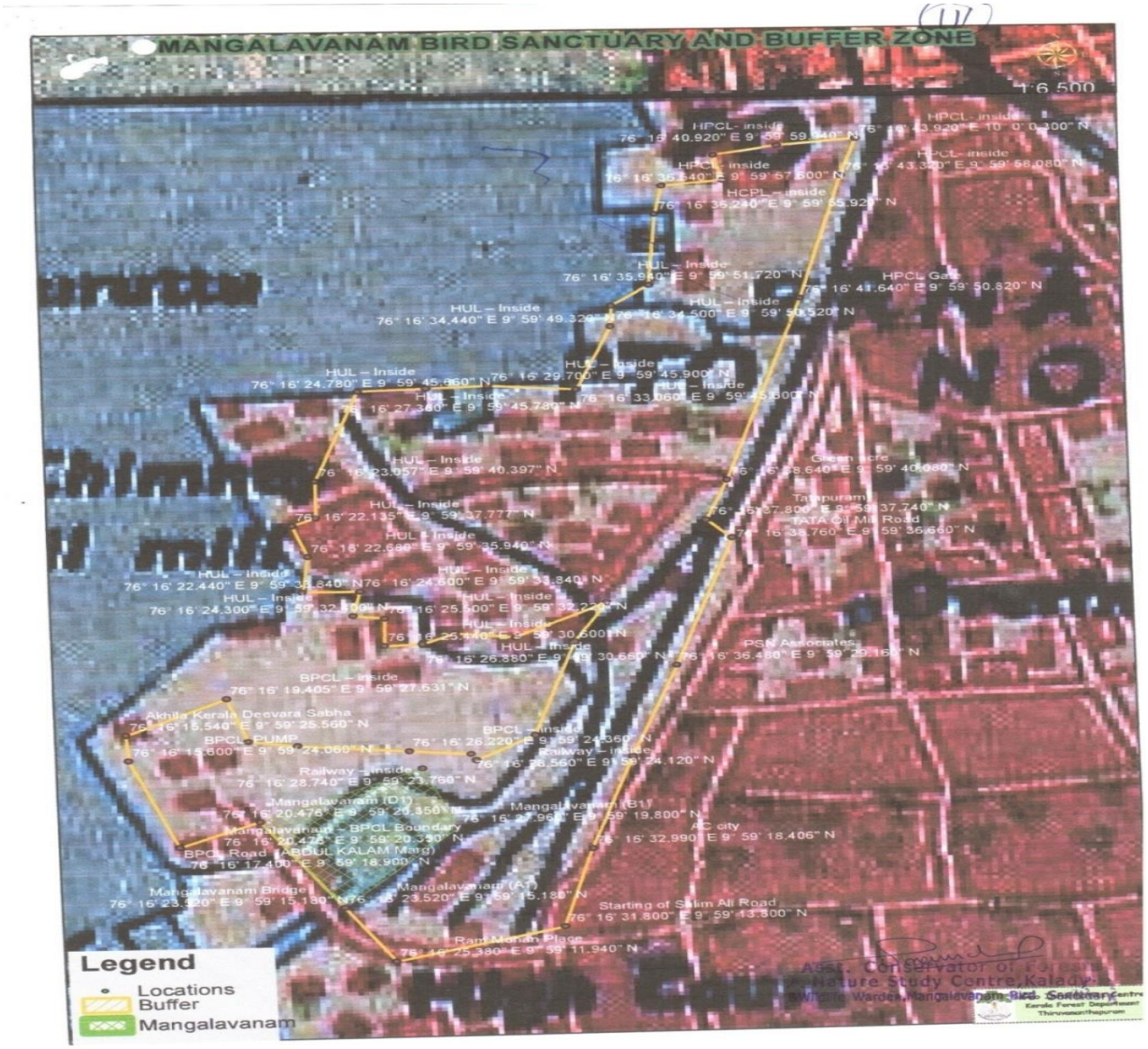

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee:

1. Number and date of Meetings:

2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.

3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record : Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.31 14:48:29 +05'30'